FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प खेजड़ला

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
लखाराम		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–165/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.11.2021	प्रार्थी लखाराम पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी खेजड़ला तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर **कैम्प खेजड़ला** में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 335/4 रकबा 0.6310 हैक्टेयर, **तथा** खसरा नम्बर 335/3 रकबा 1.6423 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 335/5 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 335/6 रकबा 0.0647 हैक्टयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 2.5160 हैक्टेयर वॉ हिस्सा संयुक्त खातेदारी का आया हुआ है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि पूर्व में कचराराम पुत्र प्रभूराम जाति मेघवाल निवासी खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की थी। संयुक्त खातेदार कचराराम ने भूमि खसरा नम्बर 335/4 रकबा 0.6310 हैक्टेयर, **तथा** खसरा नम्बर 335/3 रकबा 1.6423 हैक्टेयर खसरा नम्बर 335/5 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 335/6 रकबा 0.0647 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 2.5160 हैक्टेयर [illegible] को दिनांक 14.06.2002 तथा 02.07.2002 को बेचान कर दिया। जब बेचाननामा निष्पादित किया गया तब वादीगण ने भूलवश अपना नाम लखाराम के बजाय रखाराम दर्ज करवा दिया। इस त्रुटि को शुद्धि कराने के लिए वादी ने विक्रेता कचराराम के घर जाकर सम्पर्क किया। तो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:31 IST
Reason: SelfAttested

वादी को मालूम पड़ा कि कचराराम पुत्र प्रभूराम का देहान्त हो चुका है। वादी ने अपनी जमाबंदी व समस्त दस्तावेजात की नकलें लेकर हल्का पटवारी के पास जाकर सम्पर्क किया ओर निवेदन किया कि राजस्व रेकर्ड में रखाराम के स्थान पर लखाराम दर्ज करना है जिस पर हल्का पटवारी ने वादी को बताया कि आप सक्षम न्यायालय से निर्णय लेकर आवें तब ही आपका रेकर्ड में नाम शुद्ध किया जा सकता है। इस कारण वादी को अपना दर्ज गलत नाम रखाराम पुत्र मांगीलाल के स्थान पर लखाराम पुत्र मांगीलाल का नाम दर्ज कराने हेतु यह दावा पेश करना पड़ रहा है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी लखाराम ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी लखाराम का आधार कार्ड, बैचाननामा कचराराम बहक रखाराम दिनांक 14.06.2002, बैचाननामा कचराराम

बहक रखाराम दिनांक 02.07.2002, जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 खसरा नम्बर 335/4 रकबा 0.6310 हैक्टेयर, **तथा** जमाबंदी संवत 2073 से 2076 खसरा नम्बर 335/3, 335/5, 335/6 आदि को पेश किये है। वादी ने कार्यालय ग्राम पंचायत खेजड़ला द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र पेश किया। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी

पालना में तहसीलदार बिलाड़ा न जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त खातेदारी भूमि में रखाराम पुत्र मांगीलाल गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मै कोई सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित हो रहा हूं।

पत्रावलो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम लखाराम पुत्र मांगीलाल के बजाय रखाराम पुत्र मांगीलाल दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की खसरा में स्थित खसरा नम्बर 335/4 रकबा 0.6310 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 335/3 रकबा 1.6423 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 335/5 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 335/6 रकबा 0.0647 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में रखाराम पुत्र मांगीलाल के स्थान पर लखाराम पुत्र मांगीलाल को संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:31 IST
Reason: SelfAttested

	उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम खेजड़ला में खुल में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:31 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:31 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प खेजड़ला

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
लखाराम पुत्र मांगीलाल		राजस्थान सरकार जरिये
जाति मेघवाल निवासी खेजड़ला		तहसीलदार बिलाड़ा
तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 165/2021

निर्णय **दिनांक** :– 22.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादीगण स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या–1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 335/4 रकबा 0.6310 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 335/3 रकबा 1.6423 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 335/5 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 335/6 रकबा 0.0647 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि [illegible] पुत्र मांगीलाल के स्थान पर लखाराम पुत्र मांगीलाल की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:31 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:31 IST
Reason: SelfAttested